(b) if so, whether these would be constructed immediately to each the suffering of the passengers; and

(c) if so, when and the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MAHABIR PRASAD): (a) Platform Nos. 1 & 2 and 3 & 4 at Mecheda Railway Station have separate latrine for ladies at present. There is no separate latrine for ladies at platform Nos. 5 & 6.

(b) and (c) One separate latrine for ladies at platform Nos. 5 & 6 is proposed to be constructed during 1988-89.

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में प्रसूति सुविधा

1548. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री रामचन्द्र विकल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अस्पतालों में प्रसूति के प्रयोजन के लिए उपलब्ध बिस्तरों, कमर, उपचार गृहों (नर्सिंग होम्स) की अलग-अलग सख्या क्या है और उनके प्रभारों सहित उनमें प्रवेश के लिए नियम क्या हैं ; और

(ख) पुरुष और महिला डाक्टरों की अलग-अलग संख्या क्या है और क्या प्रवेश देने का अधिकारी मुख्य चिकित्सा सर्जन या अधीक्षक को होता है ;

(ग) उपचारगृहो में ऐसे कमरों की संख्या कितनी है जिनमें चार, तीन, दो और एक गर्भवती माता को रखा जाता है और विभिन्न अस्पतालों में उनके प्रभार क्या-क्या हैं ; और

(घ) बेहतर प्रबंध और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या वहां यह उपबंध भी रखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसे भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के प्रसूति और स्त्री रोग विभागों से संबंधित अपेक्षित सूचना उपाबंध में दी गई है [देखिए परिशिष्ट CLXV अनुपत्र सं० 52]

(घ) बेहतर प्रबंध और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं । किसी शिकायत करने वाले व्यक्ति को प्रवेश देने से इंकार करने के बारे में नियमों में कोई उपबंध नहीं है ।

हिन्दी भाषा का प्रसार

1549. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री रामचन्द्र विकल :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम की पूर्णतः अवहेलना करते हुए, रोमन लिपि के कम्प्यूटरों, टैलेक्स मशीनों और टैली-प्रिंटरों जैसे दर्जनों आधुनिक यंत्रों के आगमन और अबाधित प्रयोग के फलस्वरूप हिन्दी के प्रसार का कार्य वर्षों पीछे पड़ गया है और जहां भी टेलेक्स मशीनें लगायी गई हैं वहां से एक भी तार हिन्दी में नही भेजा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "क" क्षेत्रों में अंग्रेजी के टंकन यंत्रों आदि की तुलना में देवनागरी के टंकन यंत्रों, टंककों और आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है जबकि उनकी संख्या 50:50 होनी चाहिए थी, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हिन्दी भाषा के प्रसार के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नही । अंग्रेजी कम्प्यूटरों और टैलेक्स मशीनों आदि जैसे आधुनिक उपकरणों के आगमन के फलस्वरूप हिन्दी के प्रसार पर असर नही पड़ा है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) हिन्दी भाषा के प्रसार के लिए निम्नलिखित नये कदम उठाये गये हैं :

(1) और अधिक हिंदी टाइपराइटरों की खरीद की जा रही है ।

(2) और अधिक टाइपिस्टों/स्टेनोग्राफरों को हिंदी टाईपिंग/हिन्दी शार्टहैण्ड में ट्रेनिंग दी जा रही है ।

(3) प्रत्येक वर्ष हिन्दी सप्ताह के दौरान हिंदी नोटिंग और हिंदी ड्राफटिंग संबंधी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं ।

(4) मंत्रालय और इसके अधीनस्थ बद्ध कार्यालयों/उपक्रमों/नियमों आदि प्रोत्साहन स्कीमें लागू की गई हैं ।

tion Money Charged by Public Schools in Delhi

1550. SHRI M. KADHARSHA:
SHRI KAPIL VERMA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some public schools in Delhi are charging huge amount as caution money;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) whether it is also a fact that St. Vivekanand School and Mother's International School, New Delhi are charging over Rs. 5000, as caution money from the students seeking admission in nursery classes; and

(d) if so, what steps Government propose to take to curb the menace?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): (a) and (b) Delhi Administration is empowered under Delhi School Education Act to regulate the affairs of recognised schools. Delhi Administration does not have complaints about large sums of money being taken by recognised schools as caution money.

(c) and (d) St. Vivekanand School and nursery classes of Mother's International School, New Delhi are not recognised by the Delhi Administration. As such these unrecognised schools are outside the purview of Delhi Administration in so far as its regulatory powers under the Delhi School Education Act, 1973 are concerned. However it is proposed to strengthen the Delhi School Education Act, 1973 suitably to regulate unrecognised institutions also.

Strike in the Central Research Institute for Yoga

1551. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in the Patriot of the 1st February, 1988 regarding discontent among employees of Vishwayatan Yogashram and two other institutions under Dhirendra Brahmachari;

(b) if so, the details thereof and the steps taken to examine the grievances of employees;